

राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांक: प.7(523)परि/नियम/मु./2014/पार्ट/7172

जयपुर, दिनांक: 04/04/22

प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी,
.....समस्त।

विषय:— ई-रिक्शा एवं ई-कार्ट श्रेणी के ड्राईविंग लाइसेंस जारी करने एवं इनके संचालन को विनियमित किये जाने के दृष्टिकोण से जोन निर्धारण के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 2(cb) एवं 2(cc) में क्रमशः ई-रिक्शा एवं ई-कार्ट को परिभाषित किया गया है। ई-रिक्शा एवं ई-कार्ट के संचालन, पंजीयन एवं वाहन चालको के लाईसेन्स के संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार और परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर आदेश और अधिसूचनाएं जारी की गयी हैं। परिवहन मुख्यालय के संज्ञान में आया है कि ई-रिक्शा एवं ई-कार्ट के लाईसेन्स जारी करने एवं इनके संचालन को विनियमित करने के संबंध में कतिपय परिवहन कार्यालयों में समस्याएं आ रही हैं। इस प्रकार होने वाली असुविधा को देखते हुए ई-रिक्शा एवं ई-कार्ट श्रेणी के ड्राईविंग लाइसेंस जारी करने एवं इनके संचालन को विनियमित किये जाने के दृष्टिकोण से जोन निर्धारण के संबंध में निम्नानुसार दिशा निर्देश प्रदान किये जा रहे हैं:—

1. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना GSR 709(E) द्वारा प्ररूप 3 एवं प्ररूप 7 में ई-रिक्शा/ई-कार्ट के लाईसेंस (लर्निंग/स्थायी) जारी किये जाने संबंध में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या मार्ग पृष्ठांकन हेतु क्षेत्र विकसित किया गया था। किन्तु, मंत्रालय की अधिसूचना GSR 174(E) दिनांक 01.03.2019 द्वारा प्रतिस्थापित किये गये स्थायी लाईसेन्स जारी करने हेतु नये प्ररूप 7 के मशीन पठित क्षेत्र से तथा अधिसूचना GSR 240(E) दिनांक 31.03.2021 द्वारा लर्निंग लाईसेन्स जारी करने हेतु प्ररूप 3 से विनिर्दिष्ट क्षेत्र या मार्ग के पृष्ठांकन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। अतः केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के वर्तमान प्रावधानानुसार ई-रिक्शा/ई-कार्ट श्रेणी के लाईसेंस जारी किये जाये।
2. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की एडवाइजरी 09.06.2015 एवं विभागीय आदेश 08/2018 दिनांक 13.03.2018 के अनुसरण में ई-रिक्शा/ई-कार्ट के संचालन को विनियमित करने के उद्देश्य से स्थानीय यातायात परिस्थितियों के दृष्टिगत यातायात नियंत्रण बोर्ड/यातायात प्रबन्धन समिति में प्रस्ताव लिया जाकर ऐसे मार्गों/क्षेत्रों को प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार के माध्यम से अधिसूचित किया जावे, जहां ये वाहन अंतिम छोर तक सुगम, सुरक्षित एवं न्यून प्रदूषणकारी यात्री/माल परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने में उपयुक्त हो।

3. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना S.O. 2812(E) दिनांक 30.08.2016 द्वारा ई-रिक्शा/ई-कार्ट को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 66(1) के अन्तर्गत परमिट की अनिवार्यता से मुक्त किया गया है। इन यानों को विनिर्दिष्ट क्षेत्रों या विनिर्दिष्ट सड़कों पर चलाने पर समुचित विधियों के अधीन निबंधन आरोपित करने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की है। राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 8.1 में जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को मोटरयानों को सामान्यतः अथवा किसी वर्ग विशेष को किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र अथवा किसी भी सड़क के संबंध में प्रतिबन्धित करने की शक्ति निहित है, अर्थात् जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने स्तर पर स्थानीय यातायात परिस्थितियों के दृष्टिगत किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र/मार्ग पर वाहनों अथवा वाहन विशेष यथा ई-रिक्शा/ई-कार्ट, ऑटो रिक्शा, मिनीबस आदि के संचालन को प्रतिबन्धित किया जा सकता है।

अतः समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि मोटर वाहन नियमों के उक्त प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें।


(महेन्द्र सोनी)

परिवहन आयुक्त एवं
विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक: प.7(523)परि/नियम/मु./2014/पार्ट/7173-78 जयपुर, दिनांक: 4/4/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय परिवहन मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग।
4. निजी सचिव, विशिष्ट सचिव एवं आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग।
5. सिस्टम एनालिस्ट/एनआईसी, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग।
6. रक्षित पत्रावली।


परिवहन आयुक्त एवं
विशिष्ट शासन सचिव